



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 2432

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44151 सन् 2025

राहुल त्रिगुण

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

राजा राम पाल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजा राम पाल, राज्य-विपक्षी पक्ष के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 342/2023 में, गौ हत्या अधिनियम की धाराओं 3/5ए/5बी/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 और धारा 429 आई.पी.सी. के अंतर्गत, थाना चकिया, जिला चंदौली में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप परिवहन का है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त आवेदक के कब्जे से कोई गोमांस या मृत गाय की संतान बरामद नहीं की गई है। अपराध का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और कथित बरामदगी पूरी तरह से झूठी और गढ़ी हुई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त इम्तियाज अली और दिलशाद अली @ बाबू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7502/2024 और 7209/2024 में 26.09.2024 और 27.05.2024 को पहले ही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वह 17.11.2025 से जेल में बंद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहाई के मामले में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने कड़ा विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य का विरोध नहीं कर सके कि आवेदक के केवल एक मामले का आपराधिक इतिहास है।
5. उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणों पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए मामला बनता है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, **राहुल त्रिगुण** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने **पर जमानत पर रिहा किया जाए:**
 - i. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।



8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, नीचे का न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।